कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी – 221002

पत्रांक : प0सा0 / वा0प0 / 77 / 2017 दिनांक : 01 अप्रैल, 2017

सेवा में,

प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय जनपद– वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं बलिया।

विषयः **उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा में अनुचित साधनों के निवारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या– 197 / सत्तर–1–2017–16 (37) / 2012 दिनांक 31 मार्च, 2017 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में वर्तमान में चल रही मुख्य परीक्षाओं में नकल रोके जाने तथा शुचिता को बनाये रखे जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–13 सन् 1998) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उक्त आदेश अनुपालन हेतु उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 संलग्न कर प्रेषित है।

अतएव कृपया संलग्न अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक– यथोपरि।

**(ओम प्रकाश)**
कुलसचिव

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित–**

1. मा0 कुलपति जी।
2. मा0 कुलपति जी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4. निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. प्रभारी संगणक केन्द्र।
7. समस्त सम्मानित समाचार पत्रों को इस आशय के साथ कि कृपया जनसाधारण के सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. सूचना पट्ट।

/
कुलसचिव

# उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998

## (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 13 सन् 1998)

विधायी अनुभाग – 1 लखनऊ : 30 मार्च, 1998

### अध्याय – एक (प्रारम्भिक)

1. **संक्षिप्त नाम** – (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 18 मार्च, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **परिभाषायें**– इस अधिनियम में –

(क) ''परीक्षा केन्द्र'' का तात्पर्य किसी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिए निर्धारित किसी संस्था या उसके भाग या किसी अन्य स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध समस्त परिसर भी है।

(ख) ''परीक्षार्थियों का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसे उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

(ग) ''सार्वजनिक परीक्षा'' का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षा से है जो उसमें विधि पूर्वक सफल घोषित व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा प्रमाण–पत्र या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदत्त या अनुदत्त करने के लिए संचालित की जाय।

(घ) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जब कि व सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, ''अनुचित साधन'' का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अंकित (रिकार्डेड) प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से या किसी टेलीफोन, वायरलेस या इलैक्ट्रॉनिक या अन्य यंत्र या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

### अध्याय – दो – अनुचित साधनों का निवारण

3. **अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध**– कोई परीक्षार्थी, किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

4. **प्रश्न–पत्र की अप्राधिकृत प्राप्ति और प्रकटीकरण** – कोई व्यक्ति जिसे अपने कर्तव्य–पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञा विधिपूर्वक प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न–पत्र के वितरण के लिए निर्धारित समय के पूर्व :–

(क) न तो ऐसे प्रश्न–पत्र या उसके किसी भाग को या उसकी किसी प्रतिलिपि को हस्तगत करेगा, न हस्तगत करने का प्रयास करेगा, न कब्जे में रखेगा।

(ख) न कोई ऐसी सूचना किसी को देगा या देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में उसे यह जानकारी या विश्वास करने का कारण है कि ऐसे प्रश्न–पत्र से सम्बन्धित या व्युत्पन्न या संदर्भित है।

5. **ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे परीक्षा कार्य सौपा गया है, जानकारी देने का निषेध** – कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा जाय, ऐसी स्थिति के सिवाय जिसमें उसे अपने कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने की अनुज्ञा दी गयी हो, ऐसी सूचना या उसके भाग को जो उसे इस प्रकार सौंपे गये कार्य के आधार पर उसकी जानकारी में आई हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रकट करेगा न प्रकट करायेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी देगा।

6. **परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध** – कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा न गया हो, या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा के जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा, न ऐसे केन्द्र में प्रवेश करके वहाँ मौजूद रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेगा।

7. **प्रबन्धतन्त्र इत्यादि का कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी का सहयोग नहीं करेगा** – कोई व्यक्ति, जो ऐसी संस्था के, जिसे सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो, प्रबन्धतंत्र का हो या कर्मचारी वर्ग का हो, या जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा हों, सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान नहीं करेगा।

8. **सार्वजनिक परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं किया जायेगा** – कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के प्रयोजन के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का न तो उपयोग करेगा और न उपयोग करने देगा।

## अध्याय – तीन – (शास्ति और प्रक्रिया)

9. **अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए शास्ति**– जो कोई धारा 3 के उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लघंन करने का प्रयास करेगा या उल्लघंन के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

10. **जानकारी देने के लिए शास्ति** – जो कोई धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 के उपबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लघंन करने का प्रयास करेगा या उल्लघंन के लिए दुष्प्रेरित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

11. **उपहति आदि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति** – जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उस पर हमला या उसका सदोष अवरोध कारित करने की या मृत्यु का, या उपहति का, या उस पर हमले का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके धारा 9 और 10 के अधीन दण्डनीय अपराध करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

12. **प्रक्रिया**– (1) धारा 9 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

(2) धारा 10 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध से किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1) धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे संक्षिप्त विचारण पर लागू होंगे।

## अध्याय – चार – (विविध)

13. **सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण**– राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

14. **अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति** – राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा को जिसके सम्बन्ध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है, अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट के प्रकाशन पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।

15. **नियम बनाने की शक्ति** – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

16. **निरसन और अपवाद** – (1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान सयम पर प्रवृत्त थे।